राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stplsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक F.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि.–2020(1205)/20/401-02 **दिनांकः–25.02.2021**

आयुक्त,
नगर निगम, समस्त।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर परिषद/पालिका, समस्त
(आबू पर्वत व जैसलमेर को छोड़कर)

विषयः– "मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2020" को लागू किये जाने बाबत्।

सन्दर्भ :–नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 16.10.2020 विभागीय आदेश क्रमांक F.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि.–2020( )/20/1503–04 दिनांक 26.10.2020 एवं आदेश क्रमांक 1678–80 दिनांक 27.11.2020 एवं आदेश क्रमांक 94 दिनांक 18.01.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण गतिविधियों को रेग्यूलेट किये जाने के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त नवीन मॉडल भवन विनियम "मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2020" की प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार " राजस्थान भवन विनियम–2020" को समस्त नगरीय निकायों में लागू किये जाने हेतु नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 16.10.2020 तथा विभागीय आदेश क्रमांक F.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि. –2020( )/20/1503–04 दिनांक 26.10.2020 एवं आदेश क्रमांक 1678–80 दिनांक 27.11.2020 एवं आदेश क्रमांक 94 दिनांक 18.01.2021 अनुसार निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मॉडल भवन विनियम, 2020 दिनांक 04.03.2021 तक नियमानुसार लागू किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 04.03.2021 तक किसी नगरीय निकाय द्वारा मॉडल भवन विनियम–2020 लागू नही किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 337 (4) के अनुसरण में उक्त मॉडल भवन विनियम 2020 दिनांक 05.03.2021 से स्वतः लागू माने जावेगें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

क्रमांक F.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि.–2020(1205)/20/403-418 **दिनांकः– 25.02.2021**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सचिव माननीय मंत्री महोदय, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।

जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित करवायें।

8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(राजेश कुमार तुलारा)
अति. मुख्य नगर नियोजक